

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 02, शुक्रवार, शाके 1948- जुलाई 24, 2026 Sravana 02, Friday, Saka 1948- July 24, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 26, 2025

संख्या प.9(59)राज-1/2025-26918:- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या--15) की धारा 16, में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत जिला कलक्टर, करौली एवं राजस्व मण्डल अजमेर से प्राप्त प्रस्ताव/अनुशंसा के अनुरूप राज्य सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि **करौली जिले की तहसील सपोटरा** के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-7 में अंकित मजरों/ढाणियों को एतदपश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कॉलम संख्या-8 के अनुसार है:-

क्र. सं.	जिला / तहसील	ग्राम पंचायत / पंचायत समिति	मूल राजस्व ग्राम का विवरण			नवीन राजस्व ग्राम का विवरण			दूरी K M	मूलग्राम का शेष क्षेत्रफल (में.है)
			ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (में.है)	जनसंख्या 2011	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (में.है)	जनसंख्या 2011		
1	करौली / सपोटरा	बाजना / सपोटरा	रामठरा LG Code 77002	1149.9 502	1542	बंदा की डोंगरी Banda Ki Dongree	904.31 86	635	4	245.6 316
2		हरियाका मंदिर / सपोटरा	बलुआपुरा LG Code 76989	162.50 43	793	मान्यापुरा Manyapura	99.703 5	447	2	62.80 08
3		खेडला /	मीणापुरा LG Code 76900	368.93 34	1047	कहारपुरा Kaharpura	113.83 00	390	3	255.1 034

4	सपोटरा	एदलपुरा LG Code 76898	623.75 65	1172	बलवन्तपुरा Balwantpur a	163.59 36	742	1	460.1 629
5	दौलतपुरा / सपोटरा	दौलतपुरा LG Code 77008	2115.9 668	1703	कल्याणपुरा Kalyanpura	956.88 87	780	3	1159. 0781
6	इनायती / सपोटरा	इनायती LG Code 76946	673.49 08	3929	गुलाबपुरा Gulabpura	281.22 97	1221	1	392.2 611
7	करणपुर / मण्डरायल	गढी का गांव LG Code 77049	2608.2 044	2132	करीलपुरा Karilpura	167.16 95	255	2.5	2441. 0349
8	अमरगढ़ / सपोटरा	अमरगढ़ LG Code 77004	2636.4 235	3605	बंगला की गुआडी Bangla Ki Guari	1966.3 985	1081	6	670.0 250

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 107 में निहित प्रवधानों के तहत उक्त मूल राजस्व ग्राम एवं नवघोषित राजस्व ग्राम के खसरा जमाबन्दी, नक्शे आदि अभिलेखों को पृथक कर उनके संधारण हेतु **जिला कलक्टर, करौली** को अधिकृत किया जाता है। जिला कलक्टर उक्त ग्रामों के अभिलेखन कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को भी सूचित करेंगे।

आज्ञा से,

बिरदी चंद गंगवाल,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।